बिहार सरकार,
<u>श्रम संसाधन विभाग</u>
<u>संकल्प</u>

श्री राजेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सीवान के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा का केन्द्राधीक्षक बनाये जाने के पश्चात केन्द्राधीक्षक का कार्य करने में असमर्थता जताने, प्रतिनियुक्ति के पश्चात ई–मेल के माध्यम से चिकित्सा अवकाश का आवेदन दिये जाने तथा आदेश की अवहेलना किये जाने इत्यादि के आरोप में आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभागीय ज्ञापांक–584 दिनांक–08.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. उक्त के संबंध में श्री राजेश कुमार के पत्रांक–101 दिनांक–25.03.19, पत्रांक–190 एवं पत्रांक–190 दिनांक–25.06.2019 तथा आवेदन दिनांक–06.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया एवं Thyroid विकृति एवं Typhoid से पीड़ित होने संबंधी साक्ष्य संलग्न किया गया। संलग्न तथ्यों यथा डॉक्टर से कराये गये जाँच की प्रमाणित प्रति, Endocrinologist विशेषज्ञ से ईलाजरत होने की प्रति तथा Medanta Hospital, New Delhi से कराये गये जाँच आदि की प्रति इत्यादि की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि दिनांक–01.08.2018 से 19.08.2018 तक कुल 19 दिन की अवधि विभागीय अधिसूचना संख्या–139 दिनांक–08.07.2019 द्वारा स्वीकृत है। इस प्रकार तथ्यों की समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री राजेश के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए भविष्य में इस तरह की पुनरावृति नहीं किये जाने की 'चेतावनी' के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. अतएव (श्री राजेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सीवान को भविष्य में इस तरह की पुनरावृति नहीं किये जाने की 'चेतावनी') दी जाती है। चेतावनी की प्रविष्टि श्री राजेश कुमार के चरित्र–पुस्त में की जानी है।

<u>निबंधित डाक</u>

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री राजेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सीवान को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 34/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोघ है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 34/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 34 / 2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 34 / 2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
निबंधित डाक
प्रतिलिपि– श्री राजेश कुमार, प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 34 / 2018 श्र०सं०– 450 पटना, दिनांक–28/2/2020
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण / उप सचिव / अवर सचिव / प्रभारी गोपनीय चारित्री / लोक सूचना पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2/2020
सरकार के उप सचिव

आई०टी० मैनेजर